लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1350

उत्तर देने की तारीखः 09.02.2021

सफाई कर्मचारियों का उत्थान

1350. श्री दिलीप शइकीया:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में स्वच्छता कर्मचारियों/सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए असम और हरियाणा सहित राज्य-वार कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को स्वच्छता कर्मचारियों के उत्थान के लिए राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) वर्ष 2014 के पश्चात् सरकार द्वारा आवंटित निधि की राज्य-वार मात्रा कितनी है;

(ड.) क्या सरकार ने इन योजनाओं में अनियमितताओं के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने शीर्ष निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), के माध्यम से असम एवं हरियाणा सहित, देश भर के सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए विभिन्न ऋण एवं गैर-ऋण आधारित स्कीमों तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): जी, नहीं।

(घ): वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक (31.01.2021 तक) राज्यों को आवंटित राज्य-वार निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ड.) और (च): एनएसकेएफडीसी द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के संबंध में किसी अनियमितता की रिपोर्ट इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

अनुबंध-I

एनएसकेएफडीसी द्वारा सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए ऋण एवं गैर-ऋण आधारित सकीमों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम का नाम
1	सामान्य अवधि ऋण (जीटीएल)
2	महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई)
3	महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)
4	सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ)
5	शिक्षा ऋण (ईएल) -भारत में अध्ययन के लिए -विदेश में अध्ययन के लिए
6	ग्रीन बिजनेस (जीबी)
7	"पे एण्ड यूज" समुदाय शौचालयों की स्कीम
8	**स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई)** (स्वच्छता संबंधी उपकरणों/वाहनों के प्रापण की स्कीम)
9	व्यक्तिगत/एसएचजी/जेआरजी/सहकारी
10	नगरपालिका/जलबोर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग छावनी बोर्ड रेलवे आदि
11	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी)

अनुबंध-II

दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार 2014-15 से 2020-21 तक एनएसकेएफडीसी द्वारा संवितरित राज्य-वार निधियां दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15 से 2020-21 (31.01.2021 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	16942.86
2	असम	995.62
3	बिहार	1361.25
4	चंडीगढ़	99.23
5	छत्तीसगढ़	3865.86
6	दिल्ली	1400.00
7	गुजरात	13724.56
8	हरियाणा	134.42
9	हिमाचल प्रदेश	1662.10
10	जम्मू और कश्मीर	2049.01
11	झारखंड	1732.55
12	कर्नाटक	5036.01
13	केरल	12754.80
14	मध्य प्रदेश	3218.15
15	महाराष्ट्र	5028.24
16	मणिपुर	0.00
17	मेघालय	0.00
18	मिजोरम	0.00
19	नागालैंड	613.49
20	ओडिशा	1545.75
21	पुडुचेरी	136.00
22	पंजाब	2286.00
23	राजस्थान	7945.56
24	तमिलनाडु	6910.59
25	त्रिपुरा	1540.44
26	तेलंगाना	2211.05
27	उत्तर प्रदेश	14390.60
28	उत्तराखंड	1349.67
29	पश्चिम बंगाल	2121.05
	कुल	**111054.84**

*****